इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2020—वैशाख 25, शक 1942

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मई 2020

क्र. 958-02-2020-ए-16.—यह कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा वैश्विक महामारी "कोविड-19" से उत्पन्न परिस्थितियों में अधिकाधिक आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1000 दिन की कार्ययोजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत कतिपय श्रम सुधार करने का निर्णय लिया गया है.

(2) तदनुसार, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत सभी कारखानों को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से आगामी तीन माह के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 6, धारा 7, 8 सुरक्षा संबंधी अध्याय-4 की धारा 21 से लगायत 41-एच, धारा 59, धारा 65, धारा 67, धारा 79, धारा 88 तथा धारा 112 एवं सपठित मध्यप्रदेश कारखाना नियमावली, 1962 के नियमों को छोड़कर कारखाना अधिनियम, 1948 तथा मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 के सभी प्रावधानों से छूट प्रदान किया जाना विनिर्दिष्ट करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
अशोक शाह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2020

क्रमांक:-275/1143/2019/ए-16: कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का 63) की धारा 112 व्दारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्व्दारा मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 115 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व मे प्रकाशित किये जा चुके हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमो में, नियम 112 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

112. विवरणी - प्रत्येक कारखाने का अधिभोगी या प्रबंधक प्रत्येक कलैंडर वर्ष में 1 फरवरी को या उसके पूर्व वार्षिक रूप से भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय के वेब पोर्टल पर, निरीक्षक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार, ऐसे कलैंडर वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में ऐसे वेब पोर्टल में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार जानकारी देते हुए, संयुक्त विवरणी, इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करेगा या अपलोड करेगा:

परंतु ऐसे अधिभोगी या प्रबंधक के लिए इस नियम के अधीन किसी कलैंडर वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा, यदि उसने श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन अधिनियम 2014, (2014 का 33) के अधीन उक्त वेब पोर्टल पर उस वर्ष के लिये पूर्व में ही वार्षिक विवरणी प्रस्तुत कर दी है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 13th May 2020

No. 275 /1143/2019/A–16: In exercise of the powers conferred by Section 112 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948), the State Government hereby, makes following amendment in the Madhya Pradesh Factories Rules, 1962, the same having been previously published as required by section 115 of the said Act, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

In rule 112, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

112. Returns - An occupier or manager of every factory shall furnish electronically or upload one unified return as required by the Inspector or any other officer appointed by the State Government in this behalf, annually on or

before 1st day of February in each calendar year on the web portal giving information as to the particulars specified in such official web-portal in respect of the preceding year of such calendar year.

Provided that it shall not be necessary for such occupier or manager to furnish the return for a calendar year under this rule, if he has already furnished an annual return for that year on the said web portal under the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and maintaining Registers by certain Establishments) Amendment Act, 2014 (No. 33 of 2014).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH RAJORA, Principal Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.